

**कार्यालय वनमंडलाधिकारी, बलरामपुर
वनमंडल बलरामपुर (छत्तीसगढ़)**

दूरभाष:- 07831-273091,273092 (Office) , 273093 (Fax)

ई-मेल dfobalrampur@gmail.com

क्रमांक/मा.चि./2016/1276
प्रति,

बलरामपुर दिनांक/ 12/08/2016

मुख्य वनसंरक्षक
सरगुजा वनवृत्त अम्बिकापुर
विषय :- Diversion of Forest Land for non-forest purpose under Forest Conservation Act.
1980 proposed 132/33KV Substation at Wadrafanagar To M/s CSPTCL area-2.63
ha.- Regarding
(FP/CG/TRANS/8159/2014)
संदर्भ :- अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (भू-प्रबंध/व.स.अ.) का पत्र क्रमांक/ भू-प्रबंध /विद्युत
/एल.एम-479-141/755 रायपुर, दिनांक 26.03.2016

---:000:---

उपरोक्त विषयांतर्गत लेख है कि आवेदक संस्थान कार्यपालन अभियंता,(सिविल) संभाग छ. रा. वि. पारे. क. मर्या. रायगढ़ (छ.ग.) द्वारा परिक्षेत्र वाड्राफनगर अंतर्गत ग्राम-जमई में राजस्व वनभूमि रकबा 2.63 हे. का वन संरक्षण अधिनियम 1980 अंतर्गत गैर वानिकी उपयोग हेतु नवीन चेक लिस्ट के दिशा निर्देश के तहत प्रस्तुत किया गया है। प्रस्ताव का संक्षिप्त विवरण निम्नानुसार है :-

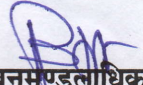
1. आवेदन कर्ता कार्यपालन अभियंता,(सिविल) संभाग छ. रा. वि. पारे. क. मर्या. रायगढ़ (छ.ग.) द्वारा परिक्षेत्र वाड्राफनगर अंतर्गत ग्राम-जमई में राजस्व वनभूमि रकबा 2.63 हे. की माँग 132/33 के.व्ही उपकेन्द्र की स्थापना हेतु की गई है।
2. आवेदन कर्ता द्वारा प्रस्ताव में नियमानुसार पंजीयन एवं प्रोसेसिंग की राशि बलरामपुर वनमण्डल में जमा किया गया है।
3. डायवर्सन हेतु प्रस्तावित वन क्षेत्र का साईट क्वालिटी IV b है एवं घनत्व 0.1-0.2 के मध्य है।
4. व्यपवर्तन हेतु प्रस्तावित क्षेत्र का वनमण्डलाधिकारी स्थल निरीक्षण प्रतिवेदन (प्रपत्र-3) संलग्न है।
 - प्रस्तावित गैर वानिकी कार्य अंतर्गत 132/33 के.व्ही उपकेन्द्र की स्थापना हेतु माँग की जा रही राजस्व वन भूमि के अतिरिक्त अन्य कोई भी गैर वन भूमि विकल्प के रूप में उपलब्ध नहीं है।
 - व्यपवर्तन (Diversion) हेतु प्रस्तावित वन भूमि की माँग न्यूनतम है।
5. प्रस्तावित परियोजना अंतर्गत क्रियान्वयन हेतु संबंधित क्षेत्र के ग्रामों के पंचायतों का अनापत्ति प्रमाण पत्र संलग्न है।
6. परियोजना में प्रभावित राजस्व वन भूमि के रकबा 2.63 हे. हेतु भारत सरकार वन एवं पर्यावरण मंत्रालय नई दिल्ली का पत्र क्रमांक F.No. 11-9/98-FC date 16 june 2011 के अनुसार क्षतिपूर्ति वैकल्पिक वृक्षारोपण से छुट का प्रावधान दिया गया है।

7. प्रस्तावित राजस्व वन क्षेत्र के आस-पास कोई ऐतिहासिक महत्व का चिन्ह/मूर्ति न होने संबंधी प्रमाण पत्र संलग्न है।
8. परियोजना का लागत लाभ विश्लेषण संलग्न किया गया है।
9. प्रस्तावित गैर वानिकी परियोजना में आवेदन कर्ता द्वारा वन संरक्षण अधिनियम 1980 के नियम 3B वन उल्लंघन नहीं किया गया है।
10. आवेदित क्षेत्र Ecological Sensitive क्षेत्र (Bio Sbhere Reserve) प्राकृतिक झील/वाटर बॉडी, आदिवासी सेटलमेन्ट, धार्मिक स्थल की सीमा से 5 कि.मी. के अंतर्गत नहीं है।
11. आवेदित क्षेत्र किसी राष्ट्रीय उद्यान एवं किसी वन्यप्राणी अभयारण्य का भाग नहीं है एवं आवेदित राजस्व वन भूमि की सीमा से 10 कि.मी. की परिधि में कोई संरक्षित वन क्षेत्र नहीं है।
12. आवेदन कर्ता विभाग द्वारा शासन के निर्देशानुसार प्रत्याश मूल्य (NPV) जमा करने का वचन पत्र संलग्न किया गया है।
13. परियोजना प्रतिवेदन में प्रस्तावित राजस्व वन भूमि के प्रकरण में कलेक्टर बलरामपुर का अनापत्ति प्रमाण पर संलग्न है।
14. आवेदित क्षेत्र में गैर वानिकी परियोजना पर पर्यावरण स्वीकृति लागू नहीं होती है।
15. परियोजना में प्रभावित वन भूमि में गैर वन भूमि अनुपलब्धा संबंधी मुख्य सचिव का प्रमाण पर की आवश्यकता नहीं है।
16. वन अधिकार मान्यता पत्र वितरण संबंधी कलेक्टर बलरामपुर का प्रमाण पत्र संलग्न है।
17. Land Reclamtion Plan/Fire Protction हेतु आवेदक संस्थान का वचन पत्र संलग्न है।
18. प्रकरण में किसी भी प्रकार का कार्य प्रारंभ नहीं करने का वचन पत्र संलग्न है।

अतः प्रस्ताव वनसंरक्षण अधिनियम 1980 के मार्ग दर्शिका सिद्धांतों के अनुरूप सभी औपचारिकताओं की पूर्ति कर प्रथम चरण स्वीकृति प्राप्त करने हेतु 05 प्रतियों में संलग्न प्रेषित है।

संलग्न :- उपरोक्तानुसार

प्रस्ताव 05 प्रतियों में

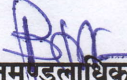

वनमण्डलाधिकारी

 बलरामपुर वनमण्डल बलरामपुर

पृ. क्रमांक/मा.चि./2016/1277
प्रतिलिपि :-

बलरामपुर दिनांक/12/08/2016

1. अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (भू-प्रबंध) एवं नोडल अधिकारी वनसंरक्षण अधिनियम 1980 छ0ग0 रायपुर को सूचनार्थ सम्प्रेषित।
2. कार्यपालन अभियंता, (सिविल) संभाग छ. रा. वि. पारे. क. मर्या. रायगढ़ (छ.ग.) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।


वनमण्डलाधिकारी

 बलरामपुर वनमण्डल बलरामपुर